संख्याः 1138/VII-II-11/86--उद्योग/2008

प्रेषक,

हरिओम,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर, चम्पावत, देहरादून
पौड़ी, चमोली, हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून. दिनांकः 01 जून, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऊन तागा बैंक की स्थापना योजनान्तर्गत (जिला योजना) में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत ऊन, तागा बैंक की स्थापना योजना हेतु प्राविधानित धनराशि **₹ 20.97 लाख (₹ बीस लाख सत्तानबे हजार मात्र)** निम्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
बागेश्वर	4.74
चम्पावत	4.56
देहरादून	2.30
पौड़ी	2.37
चमोली	6.00
हरिद्वार	1.00
कुल योग	**20.97**
	(₹ बीस लाख सत्तानबे हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा। धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

5– स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशानुसार किया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 105–खादी ग्रामोद्योग, 91–जिला योजना, 02–ऊन, ग्राम बैंक की स्थापना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–8 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1138/VII-II-11/86–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, उद्योग, निदेशालय उत्तराखण्ड ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी बोर्ड, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड, सम्बन्धित जनपद।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–2
13. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।